R. 2543/दो/14

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किल कोर्ट रीवा (म0प्र0)

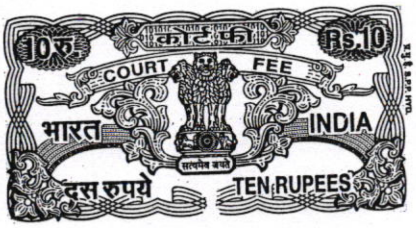

रे 240/11651/15

शारदा प्रसाद तिवारी पिता श्री जानकी प्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम अमिलिया कला तहसील मैहर, जिला सतना (म0प्र0)-

--निगरानी कर्ता/आवेदक

विरुद्ध

आशा देवी पुत्री श्री जगन्नाथ पाण्डेय पत्नी श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, निवासी ग्राम अरकण्डी मैहर, तहसील मैहर, जिला-सतना (म0प्र0)-

---- अनावेदिका

भू-राजस्व संहिता की धारा 35 (3) के अधीन प्रार्थना-पत्र।

मान्यवर,

प्रार्थना-पत्र के आधार निम्नहैः-

(1) उपरोक्त प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत होनें से निगरानी कर्ता की आवश्यकता नही होनें के कारण वह अपने अधिवक्ता के निर्देश पर उपस्थित नहीं आया था। अधिवक्ता तर्क हेतु उपस्थित हुये थे, किन्तु - प्रकरण पच्चीसवें नंबर पर नियत था। ऐसी स्थिति में यह उम्मींद थी, कि प्रकरण अंतिम सुनवाई में नंबर पर लगभग 1.30 को आयेगा, इसकारण अधिवक्ता अन्य प्रकरणों में भाग लेनें वापस चले आये थे। आज दीवानी न्यायालय का अंतिम कार्यदिवस होने के कारण ज्यादा व्यस्तता थी, किन्तु फिर भी आवेदक के अधिवक्ता 1.20 को ही उपस्थित हो गयेथे, किन्तु यह ज्ञात हुआ हैकि प्रकरण कुछ समयपहले ही सुनवाई में ले लिया गया है और आवेदक की अनुपस्थिति मानकर अदम पैरवी करदी गयीहै।

(37)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र. रेस्टो.1165/दो/15 जिला–सतना

(1)	(2)	(3)
27.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री अवधेश सिंह उपस्थित होकर तर्क किया की प्रकरण क्रमांक–निगरानी.2543/दो/14 में दिनांक 15.05.15 नियत की गयी थी। उक्त दिनांक को अधिवक्ता 1.30 बजे उपस्थित होने पर पता चला की प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया है। अधिवक्ता द्वारा उसी दिनांक को रेस्टो आवेदन प्रस्तुत किया। उनके द्वारा निवेदन किया है कि रेस्टो आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण क्रमांक–निगरानी. 2543/दो/14 पुनः नम्बर पर लिया जाकर रेस्टो आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे। 2. आवेदन अधिवक्ता का आवेदन स्वीकार किया जाकर। प्रकरण क्रमांक–निगरानी.2543/दो/14 पुनः नम्बर लिया जाता है तथा रेस्टो आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर निराकृत किया जाता है। सदस्य	